राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–5) विभाग

क्रमांक : प.19(1)गृह–5/2011 जयपुर, दिनांक : 15–11–2011

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

विषय – सी.बी.आई. अनुसंधान दल को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा महत्वपूर्ण व संवेदनशील प्रकरणों को सी.बी.आई. को अनुसंधान हेतु समय–समय पर स्थानान्तरित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा जब भी किसी प्रकरण का अनुसंधान सी.बी.आई. को स्थानान्तरित किया जाता है, तो सी.बी.आई. टीम द्वारा राज्य सरकार से कार्यालय, ठहरने, परिवहन आदि सुविधाओं की मांग की जाती है, जिसे उपलब्ध कराने में कई बार स्थानीय स्तर पर विलम्ब होता है। सी.बी.आई. दल द्वारा अनुसंधान तभी सुगमतापूर्वक किया जा सकता है, जबकि उन्हें आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिये जायें।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि जब भी किसी प्रकरण में सी.बी.आई. दल अनुसंधान हेतु किसी जिले में कार्यरत हो, तो उन्हें सभी आवश्यक संसाधन यथा– वाहन (यदि उपलब्ध नहीं हो तो किराये पर), सुसज्जित कार्यालय एवं आवास हेतु स्थान, दूरभाष, फैक्स, कम्प्यूटर व आवश्यक सुरक्षा आवश्यक रूप से अविलम्ब उपलब्ध करा दिये जायें। जिला कलक्टर्स सम्भागीय आयुक्त, महानिरीक्षक पुलिस रेंज व जिला पुलिस अधीक्षक से समन्वय स्थापित कर सी.बी.आई. दल को उक्त संसाधनों व सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बजट आवंटन सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है, जिसके बारे में पृथक से सूचित किया जायेगा।

भवदीय,

(जी.एस. संधु)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रमाणित
7/1/17
(जगदीप सिंह कुशवाह)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

C:\Documents and Settings\hel\My Documents\Downloads\Letter(AllDMS).doc

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (कानून–व्यवस्था), राजस्थान, जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय गृहमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान/पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
8. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।

प्रमुख शासन सचिव, गृह